



2026:RJ-JP:18526



[2026:RJ-JP:18526]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application No.
417/2026

In

S. B. Criminal Appeal No. 472/2026

Rakesh Singh Son Of Shri Rohitash Singh, Aged About 33 Years,
Resident Of Dhani Dulleysingh Wali, Tan Badnagar, Police Station
Pragpura, Districtkotputli-Behror (Raj.)

(At Present Accused-Appellant Confined In Central Jail Jaipur)

---Accused-Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Hari Bareth, Adv. Mr. Ajay Gupta, Adv. Ms. Sampati Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP with Mr. Navdeep Singh, AAAG

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

01/05/2026

1. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. (389 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अंतर्गत प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।
2. विद्वान विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-01 कोटपूतली, जिला-कोटपूतली-बहरोड़ द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 14/2025 में पारित निर्णय 21.02.2026 के माध्यम से प्रार्थी-अभियुक्त को धारा



323/34, 341, 324, 326, 307 भा.दं.सं. तथा धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध में अधिकतम 07 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अपीलार्थी का निवेदन है कि आहत के कारित चोटें सभी साधारण प्रकृति की हैं, अतः धारा 307 भा.दं.सं. का मामला प्रमाणित माने जाने का कोई उचित आधार नहीं था। उनका यह भी निवेदन है कि इंजरी रिपोर्ट घटना के 23 दिन बाद बनी है, जो अत्यधिक विलम्ब से है, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, दोषसिद्धि हेतु कोई विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, अपील में अभियुक्त के सफल होने की पूर्ण संभावना है, अतः यह सजा स्थगन आवेदन स्वीकार करते हुए सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. सुना गया एवं समस्त तथ्यों व तर्कों पर विचार किया गया।

6. वर्तमान मामले में अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध यह आरोप है कि उसके द्वारा अन्य सह-अभियुक्त के साथ मिलकर आहत के साथ गंभीर रूप से मारपीट की तथा अभियुक्त द्वारा तलवार से एक से अधिक वार करते हुए आहत के अनेक चोटें पहुंचाई, जिससे आहत को लम्बे समय तक अस्पताल में उपचाराधीन रहना पड़ा तथा कई सर्जरी भी हुई हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आहत व अन्य गवाहान की मौखिक व चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध व दण्डित किया गया है। **अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि लगभग 3 माह 19 दिन की हुई है। अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार उसके विरुद्ध वर्ष 2012 से 2020 तक कुल 10 आपराधिक प्रकरण संस्थित हुए हैं, जिसमें से करीब 5-7 प्रकरण हत्या के प्रयास, अपहरण, चोरी, गृह-भेदन आदि के संबंध में अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड भी सुसंगत है।**

7. अतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, उसकी विश्वसनीयता, अपराध की गंभीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के



2026:RJ-JP:18526



[2026:RJ-JP:18526]

[SOSA-417/2026]

गुण—दोषों पर टिप्पणी किये बिना यह सजा स्थगन आवेदन/जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

8. परिणामतः प्रार्थी—अभियुक्त **राकेश सिंह पुत्र रोहिताश सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन/जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /44